UPFR010013992026

Sessions Case/213/2026 Thana Anti Power Theft
State Government Vs. Devendra

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–04, फर्रुखाबाद।

उपस्थितः– दीपेन्द्र कुमार सिंह–I..................एच०जे०एस० J.O.Code–U.P.2720

सत्र वाद संख्या–213/2026

राज्य बनाम देवेन्द्र

मुकदमा अपराध संख्या–46/2023
धारा–138 (1)(a) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003
थाना–मोहम्मदाबाद
जनपद–फर्रूखाबाद।

दिनांक: 24–07–2026

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में उपभोक्ता/अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र अमर सिंह द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि, उपरोक्त मुकदमे में विद्युत बिल, शमन शुल्क जमा कर दिया गया है और कोई भी शुल्क बकाया नहीं है। इस आधार पर मुकदमा समाप्त करने की कृपा करें।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा, उसके विरुद्ध इस मामले के संबंध में निर्धारित प्रशमन राशि की अदायगी विद्युत निगम को कर दी गयी है, जिसकी पुष्टि निगम द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र, पत्रांक 4528/वि०वि०ख०(फ)/दिनांक 29.06.2026 से हो रही है, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.06.2026 को प्रशमन शुल्क अदा कर दिया गया है, अन्य देय धनराशि जमा करने हेतु शेष नहीं है।

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, (अधिनियम संख्यांक 36) की धारा–152 की उपधारा (2) ऐसी दशा में अर्थात् (अभियुक्त द्वारा प्रशमन धनराशि डिपोजिट कर दिये जाने पर), अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग का प्रशमन किये जाने का प्रावधान करती है।

धारा 152 (2) इस प्रकार है कि– उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध किसी दण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जाएगीं।

इस भाँति, अभियुक्त के विरुद्ध संस्थित मामले का प्रशमन हो जाता है। अर्थात् विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाही, अभियुक्त के विरुद्ध प्रशमन हो जाने के कारण समाप्त की जाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही प्रशमन के आधार पर समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार भेजी जाये।

(दीपेन्द्र कुमार सिंह–I)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–04, फर्रूखाबाद।

Digitally signed by DEEPENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.24 16:24:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court